जनप्रतिनिधि विकास के दूत हैं – उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली,11 मार्च 2018: राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2018 को किया था, आज संपन्न हो गया।

विदाई भाषण देते हुए उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विधानमंडल लोकतांत्रिक शासन का मुख्य आधार हैं। वे लोगों की वाणी है और लोगों के जीवन को शासित करने वाले कानूनों के माध्यम से उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों को साकार करते है। इस प्रकार विधानमंडलों को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण का अग्रदूत बनने का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों का ध्यान विधानमंडलों के बारे में लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं की ओर दिलायाजो कानून बनाने वालीइन महत्वपूर्ण संस्थाओं की विश्वसनीयता और कार्यकरण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सचेत किया कि विधानमंडलों की बैठक बहुत कम दिनों के लिए हो रही हैं; विचार-विमर्श के लिए समय और कानूनों की संख्या भी लगातार कम हो रही है;वाद विवाद की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है; विचार-विमर्श के मानदंडों का स्थान कार्यवाहीमें व्यवधान ने ले लिया है;सदस्यों की उपस्थिति कम होती है क्योंकि वे सभा में उपस्थित नहीं होते; संसद केवल सत्रावधि के दौरान ही कार्य करती है।

उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया कि जनप्रतिनिधियों का आदर्श आचरण उनकी विचारधारा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विधानमंडलों, निर्वाचन क्षेत्रों और शासी निकायों में जनप्रतिनिधियों का आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ,जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने कार्य के बारे में रोज आत्ममंथन किया जाना उनके विकास के लिए आवश्यक है। विधानमंडलों में चर्चा के लिए लिए जाने वाले विषयों के बारे में पढ़ने की आदत जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी जानकारी अद्यतन रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है और इससे उन्हें देश में विकास संबंधी लक्ष्यों पर विचार विमर्श में योगदान करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा लोगों से मिलने-जुलने और अपने निर्वाचन क्षेत्र में नियमित रूप से दौरा करने से जनप्रतिनिधियों को लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समुचित रुप से निदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि जनप्रतिनिधियों को विधानमंडलों में नियमित रूप से और पाबंदी से आना चाहिए।

श्री नायडू ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 को मनाई गई स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वीकार किए गए संकल्प को दोहराया जिसमें राज्य सभा ने संसद की गरिमा को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए कुछ मानक और मानदंड निर्धारित किए थे जिनमें विशेष रूप से प्रश्नकाल की अनुलंघ्नीयता बनाए रखना; सभा के आधिकारिक क्षेत्र का उल्लंघन न करना अथवा कोई नारेबाजी न करना और गणराज्य के राष्ट्रपति के संबोधन में व्यवधान करने की प्रवृत्ति से बचना शामिल हैं। श्री नायडू ने कहा कि जनप्रतिनिधि लोगों की सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए उन्हें विकास पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लोग इसकी मांग कर रहे हैं और इस पर नज़र भी रख रहे हैं। इसलिए विकास संबंधी नीतियों का केंद्र बिंदु लोग होने चाहिए और उन्हें विकास में भागीदार बनाए जाने की आवश्यकता है।

समापन भाषण देते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि विकास निरंतर होना चाहिए और हमें निचले स्तर सहित सभी भागीदारों के साथ निरंतर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास और चुनावी राजनीति को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों को केवल आकांक्षी जिलों तक ही अपने प्रयास सीमित नहीं रखने चाहिए, बल्कि सभी जिलों का विकास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब को सजग रहकर लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी ताकि विकास के लाभ सभी को प्राप्त हो सकें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को चर्चा में गहरी रुचि लेने, छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान देने, सुझाव देने और केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ सांसदों के साथ सार्थक बातचीत करने के लिए धन्यवाद दिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली ने विदाई सत्र में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि की विश्वसनीयता उसके आचरण पर निर्भर करती है और उसकी विश्वसनीयता के आकलन का मापदंड सभा के भीतर और बाहर उनके सहयोगियों द्वारा इसे स्वीकार किया जाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोकतंत्र के सफल कार्यक्रम के लिए संसदीय गरिमा और शालीनता कायम रखी जाए।वर्तमान समय में हमारे पास ज्ञान का भंडार है और आज जरूरत इस बात की है कि इस जानकारी को एकत्र करके, इसका संकलन और विश्लेषण करके सभा में अपनी बात रखी जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से देश की वित्तीय स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया। केंद्र-राज्य समन्वय के उदाहरण के रूप में

जीएसटी का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि, सामाजिक न्याय आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी सामंजस्य की व्यवहारिकता का पता लगाए जाने की जरूरत है।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, श्री नितिन जयराम गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी या ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि जिस प्रकार के विकास की आकांक्षा रखते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता की आवश्यकता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के प्रति वचनबद्धता के साथ उनकी रणनीति चार प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होनी चाहिए : नई-नई पहले करना, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और शोध। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से समस्याओं के समाधान ढूंढने के नए तौर-तरीके सीखने और एक आदर्श योजना विकसित करने का अनुरोध किया।

इससे पहले प्रतिवेदकों ने कार्य सत्रों के प्रतिवेदन तैयार किए। युवा सांसदों ने यह भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाई। इन प्रतिवेदनों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों, सरोकारों और सुझावों का उल्लेख किया गया। इसके बाद प्रारूप संकल्प पर चर्चा हुई और उसे स्वीकार किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ संकल्प में कहा गया था : हम, नई दिल्ली में 10 और 11 मार्च 2018 को "विकास के लिए हम" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में समवेत जन प्रतिनिधि एतद्द्वारा संकल्प लेते हैं कि: हम राष्ट्र निर्माण के कार्य और सबके सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, हम देश के नागरिकों को विकास योजनाओं एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन, संसाधनों के उपयोग तथा योजनाओं के परिणामों के बारे में अधिक से अधिक अवगत करायेंगे, हम लोगों की भागीदारी, विकास की नीतियों, योजनाओं और सुशासन तंत्र में सुनिश्चित करेंगे, और हम सब एक ऐसे भारत के निर्माण करने का अथक प्रयास करेंगे जिसमें कोई क्षेत्र और वर्ग पीछे न छूटे।